

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

प्रकरण संख्या :-50/25

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

असेट री-कन्सट्रक्शन कम्पनी
(इण्डिया) लिमिटेड
यूनिट/ऑफिस नम्बर 1008, 11वीं
मंजिल, वेस्टएंड मॉल, जनकपुरी
डिस्ट्रीक सेन्टर, जनकपुरी, नई
दिल्ली जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री
वीरेन्द्र यादव

- मुकेश पुत्र हरी राम
प्लॉट नम्बर 1, भोपालगढ़, जोधपुर
- हरिराम पुत्र जोगाराम जटिया
जटियों का वास, भोपालगढ़, जोधपुर
- जमना देवी पत्नि मुकेश
जटियों का वास, भोपालगढ़, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति :-

आदेश दिनांक:-23-06-2025

1-चन्द्र सिंह राठौड अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)

आदेश

प्रार्थीपक्ष की ओर से यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण मुकेश पुत्र हरी राम व अन्य के विरुद्ध पेश हुआ।

प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी के द्वारा अप्रार्थीगण को कुल राशि रूपये 6,00,000/-मोर्टगेज ऋणसुविधा उपलब्ध कराई गई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण हरिराम पुत्र जोगाराम जटिया की जायदाद प्लॉट नम्बर 6, जटियों का वास, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति भोपालगढ़, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1320 वर्गफीट, जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में किशोर सिंह पुत्र परिदान मांगलिया का बाड़ा, पूर्व दिशा में रामकिशन पुत्र धर्मराम का बाड़ा व पश्चिम दिशा में अचलाराम पुत्र राजूराम का बाड़ा आया हुआ, को प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मूल्य के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत नोटिस जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति के बाद प्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रार्थना-पत्र दाखल किया गया।



Signature valid

Digitally signed by Galvay Agrawal

Designation: District Magistrate

Magistrate

Date: 2025.06.23 19:39:52 IST

Reason: Approved

Page 1 of 2

मय ब्याज दिनांक 29.11.2024 तक 08,58,832.84/- भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थीपक्ष को सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये 6,00,000/-मोर्टगेज ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 29.11.2024 तक 08,58,832.84/- वसूल किये जाने है। अप्रार्थीगण को नोटिस भी जारी किये गये तथा नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है। "दी सिक्युराईटेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्कोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटीइन्ट्रेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीपक्ष द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप रखी गई अपनी उक्त जायदाद हरीराम पुत्र जोगाराम जटिया की जायदाद प्लॉट नम्बर 6, जटियों का बास, ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति मोपालगढ़, जोधपुर जिसका क्षेत्रफल 1320 वर्गफीट, जिसके उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में किशोर सिंह पुत्र परिदान मांगलिया का बाड़ा, पूर्व दिशा में रामकिशन पुत्र धर्मराम का बाड़ा व पश्चिम दिशा में अचलाराम पुत्र राजूराम का बाड़ा आया हुआ, का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति संबंधित थानाधिकारी एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यादेशों के माध्यम से भेषित की जाय।



आज दिनांक 23-06-2025 को सुनाया गया।

(जि.म.) श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर (राज.)
जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर

Signature valid

Digitally signed by Gayav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.06.23 19:39:52 IST
Reason: Approved

Page 2 of 2